

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096
टेलीफोन.28294725,28294721,फैक्स:28291754

सं.सीपज़-सेज़/सेक/सर्कुलर/71/पार्ट VI/2010

दिनांक: 03.7.2015

परिपत्र संख्या. ०४ /2015-16

विषय:- कैंटीन खाद्य पूर्तिकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

दिनांक 14.5.2015 के परिपत्र सं.4 की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है जिसमें खाद्यों की संरक्षा तथा स्वास्थ्यकारिता को ध्यान में रखते हुए गेट पास जारी किए जाने के संबंध में निम्नलिखित दो अतिरिक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक बताया है:-

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का फॉर्म 'सी'
2. महाराष्ट्र दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का फॉर्म 'डी'

बाहरी केटरर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे दिनांक 30.7.2015 तक उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा उनको प्रदान की गई गेट पास सुविधा वापस ले ली जाएगी।

यह विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(वी. पी. शुक्ल)

उपविकास आयुक्त

तथा

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:-

- 1) सीपज़ - सेज़ में स्थित सभी यूनिट
- 2) चेयरमैन , सीमा, सीपज़ - सेज़
- 3) प्रेसिडेंट , एसजी तथा जेएमए , सीपज़ - सेज़
- 4) रिजनल डायरेक्टर ,100% ईओयू तथा सेज के लिए ईपीसी , सीपज़ -सेज़
- 5) प्रबंधक , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया , सीपज़ -सेज़
- 6) प्रबंधक , भारतीय स्टेट बैंक , सीपज़ - सेज़
- 7) प्रबंधक , पंजाब नेशनल बैंक , सीपज़ -सेज़
- 8) प्रबंधक , बैंक ऑफ इंडिया , सीपज़ -सेज़
- 9) प्रबंधक , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ओबीयू) , सीपज़ -सेज़ ++
- 10) प्रबंधक , आइसीआइसीआइ बैंक (ओबीयू) , सीपज़ ++
- 11) प्रबंधक , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , सीपज़ ++
- 12) सभी एटीएम , सीपज़ -सेज़
- 13) पोस्ट मास्टर, सीपज़ पोस्ट आफिस
- 14) कस्टोडियन, एमएमटीसी, सीपज़-सेज़
- 15) डिप्टी इंजीनियर, एमआइडीसी
- 16) मेसर्स थॉमस कुक ट्रेवल्स, सीपज़-सेज़
- 17) प्रबंधक, इंडियन कॉफी हाउस, सीपज़-सेज़
- 18) प्रबंधक, केयडी कैंटरर्स, सीपज़-सेज़
- 19) प्रबंधक, केयडी कैंटीन, सीपज़-सेज़
- 20) प्रबंधक, सनसिटी प्रिमायसेस, सीपज़++
- 21) डिवीजनल इंजीनियर, एमटीएनएल, सीपज़-सेज़
- 22) मेडिकल सेंटर, बीएफसी बिल्डिंग
- 23) आइटी विभाग, सीपज़-सेज़
- 24) सूचना पट्ट